बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–677/2018 5185 /पटना, दिनांक– 8-11-20

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित 01 पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई 7.00 कि0मी0 एवं राशि 243.42200 लाख (दो करोड़ तेतालिस लाख बयालिस हजार दो सौ) रुपयें के लिये प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है।

क्र0 सं0	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड का नाम	श्रेणी	पथ का नाम	पथ की लंबाई (कि0मी0)	मुल प्राक्कलित राशि (लाख में)	5–वर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मढ़ौरा	मढ़ौरा	श्रेणी–2	टेहटी बाजार से दयालपुर पथ	7.00	182.03300	61.38900	243.4220(

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मढ़ौरा योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने स्तर से SBD आधारित ई–निविदा आमंत्रित कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–677/2018 के पृ0–02/टि0 पर दिनांक 05.10.2018 को प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–22.10.2018 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–677/2018 के पृ0–04/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं0–96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रुप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–677/2018 के पृ0– 08/टि0 पर दिनांक–02.11.2018 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

06/11/18

(संजय कुमार)

विशेष सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–677/2018 5185 /पटना, दिनांक–8-

प्रतिलिपि– सारण जिला के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–677/2018 5185 /पटना, दिनांक–8-

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, सारण, उप विकास आयुक्त, सारण /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव